न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)

//विविध आदेश//

(रिमाण्ड तथा अत्यावश्यक कार्य के संबंध में)

क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025 रायपुर, दिनांक 25.03.2025

मैं, गिरीश कुमार मंडावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय द्वारा माह–मार्च 2025 हेतु प्रसारित आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 01.03.2025 में दिनांक 31.03.2025 को अत्यावश्यक कार्य यथा रिमाण्ड आदि सम्पादित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. रंजू वैष्णव, कु. सौम्या राय, कु. प्रीति झा के स्थानांतरण होने से उनकी अनुपस्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट कु.आफरीन बानो के भी स्थानांतरण होने के कारण तथा श्री आलोक कुमार अग्रवाल के उक्त अवधि के अवकाश आवेदन स्वीकृत होने के फलस्वरुप, उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन के तारतम्य में, उक्त प्रसारित आदेश में आंशिक संशोधन समाविष्ट करते हुए **दिनांक 31.03.2025 को श्रीमती खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को अत्यावश्यक कार्य, रिमाण्ड आदि सम्पादित करने हेतु अधिकृत** किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:–

(1) श्रीमती खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त संशोधन अनुरुप रिमाण्ड ड्यूटी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(2) श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को उनके आवेदन के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रस्तुतकार, माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्प्रेषित।

(4) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर को अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें ।

(5) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(6) मालखाना नाजिर, रायपुर की ओर उक्त संशोधन अनुरूप पूर्व के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(7) प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(8) प्रस्तुतकार, न्यायालय कु. रंजू वैष्णव/कु. सौम्या राय/कु. प्रीति झा/कु. आफरीन बानो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

<u>न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</u>

//विविध आदेश//

(दांडिक कार्य वितरण के संबंध में)

क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025 रायपुर, दिनांक 25.03.2025

मैं, **गिरीश कुमार मंडावी**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए, दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है।

(1) राजस्व जिला रायपुर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के स्थानांतरण होने के फलस्वरुप उनके न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने से, दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–6, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29** के क्रम में पीठासीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यभार सौंपने की दशा में न्यायालय को **रिक्त न्यायालय** अंकित किया जाता है।

(2) इस राजस्व जिला स्थापना रायपुर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थानांतरण होने पर उनके न्यायालय रिक्त होने की दशा में, स्तम्भ क्रमांक–2 में उल्लेखित **रिक्त न्यायालय का समस्त कार्य (धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने हेतु आबंटित कार्य सहित)** स्तम्भ क्रमांक–3 के न्यायालय द्वारा, उनके न्यायालय को आबंटित कार्य के अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आगामी आदेश तक निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर का स्थानांतरण होने से रिक्त न्यायालय</th><th>रिक्त न्यायालय होने की दशा में उक्त रिक्त न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालय का नाम</th></tr>
<tr><td>01.</td><td>02.</td><td>03.</td></tr>
<tr><td>06.</td><td>श्रीमती दीप्ति लकड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td rowspan="2">कु. आकांक्षा बेक,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>07.</td><td>कु. भारती कुलदीप,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>कु. प्रीति झा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>श्रीमती मनीषा ठाकुर,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>27.</td><td>श्री हर्षवर्धन जायसवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td rowspan="2">कु. कृति कुजूर,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>कु. आकांक्षा खलखो,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>09.</td><td>श्री अरुण नोरगे,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>कु. गीता बृज,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>श्री वैभव घृतलहरे,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>श्री आलोक कुमार अग्रवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>कु. नीति,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>श्री सुरेश टोप्पो,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>श्रीमती नीहारिका तिवारी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>कु. सौम्या राय,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td><td>श्री विकास खाण्डे,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
</table>

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) में रायपुर मुख्यालय के **रिक्त न्यायालयों से उद्भूत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकरणों के निराकरण हेतु **श्री अरुण नोरगे**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को अधिकृत किया गया था, किन्तु उनका स्थानांतरण होने के फलस्वरुप **श्री विकास खाण्डे**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को उन्हें आबंटित कार्य के अतिरिक्त **रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों के निराकरण** हेतु अधिकृत किया जाता है।

(4) दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) में "परिशिष्ट ए–1" भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत्, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करने** हेतु उपरोक्तानुसार दर्शित अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर या अन्य किसी कारण

से अनुपस्थित रहने की दशा में अथवा स्थानांतरण या रिक्त होने की दशा में उपरोक्त दर्शित मामलों में साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करने हेतु इसके अगले क्रम के महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(5) दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुमोदित दिनांक 07.01.2025 में परिशिष्ट "बी" को विलोपित कर निम्नानुसार **परिशिष्ट "बी"** समाविष्ट किया जाता है:-

// परिशिष्ट "बी" //

(1) राजस्व जिला रायपुर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुसार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत **दांडिक** प्रकरणों के निराकरण करने हेतु अधिकृत न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक-1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31 के क्रम से** निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हों, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 31 के पश्चात् से क्रम से क्रमांक-1 को छोड़कर अर्थात् क्रमांक-2 से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(2) राजस्व जिला रायपुर में स्थित **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय के मध्य अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक- 8, 11, 12, 13, 30** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 30 के पश्चात् क्रमांक 8 से क्रम से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक-8, 11, 12, 13, 30** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक- 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। इसी तरह कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक- 8, 11, 12, 13, 30** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(4) इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक-32** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **तिल्दा नेवरा** एवं **क्रमांक-33** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **आरंग** के अवकाश पर होने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर उनका अत्यावश्यक कार्य राजस्व जिला के मुख्यालय रायपुर में

स्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को छोड़कर) कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक– 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(5) उपरोक्तानुसार दर्शित अनुसार अवकाश पर होने पर क्रमानुसार अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जावेगी तथा जिन मामलों में साक्षी उपस्थित हुए हों, यदि संभव हो तो उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करेंगे। यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो उक्त साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद किया जाकर अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य पर वापस आने की तिथि से तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देना निर्धारित किया जावेगा तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके अतिरिक्त दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) में उल्लेखित आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक–क/ मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 25.03.2025

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित्।
(2) समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(4) पुलिस अधीक्षक, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(5) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) सांख्यिकी अनुभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(7) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(8) प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(9) प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(10) कम्प्यूटर अनुभाग रायपुर की ओर उपरोक्त संशोधन अनुसार वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

<u>न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</u>

//विविध आदेश//

(दांडिक कार्य वितरण के संबंध में)

क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025 रायपुर, दिनांक 02.04.2025

मैं, **गिरीश कुमार मंडावी**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए, दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) एवं विविध आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025 रायपुर, दिनांक 25.03.2025 में किये गये संशोधन उपरान्त निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है।

(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थानांतरण होने के फलस्वरुप दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुमोदित दिनांक 07.01.2025 में **सरल क्रमांक–06** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **श्रीमती दीप्ति लकड़ा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **कु. सीमा कंवर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–07** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. भारती कुलदीप**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **श्री गिरीश पाल सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–14** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. रंजू वैष्णव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **श्री विवेक कुमार टण्डन**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–16** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. आफरीन बानो**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **श्री गुरुप्रसाद देवांगन**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–19** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. उन्नति महिस्वर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **कु. दीक्षा देशलहरे**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–21** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. साक्षी ध्रुव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **कु. सावित्री रक्सेल**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, **सरल क्रमांक–23** के स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित **कु. धारिणी राणा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के स्थान पर **श्री प्रवीण कुजूर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर का नाम समाविष्ट किया जाता है।

(2) इसी प्रकार दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुमोदित दिनांक 07.01.2025 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर, को स्तम्भ क्रमांक–03 में पूर्व में आबंटित आरक्षी केन्द्र के अतिरिक्त एवं स्तम्भ क्रमांक–04 में आबंटित कार्य विवरण में संशोधन समाविष्ट किया जाकर निम्नानुसार दाण्डिक कार्य आबंटित किया जाता हैः–

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01.	**02.**	**03.**	**04.**
02.	**श्री भूपेश कुमार बसंत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1.सिटी कोतवाली** **2. टिकरापारा** **3. गोलबाजार**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा**

			175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **4.** माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 7605/तीन-6-7/2000, चेकर, बिलासपुर, दिनांक 10.05.2024 के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु **(सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी** के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
06.	**कु. सीमा कंवर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र (1) **महिला थाना** (2) **अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **महिला थाना** से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।

			2. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना** से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-15-1/92, रायपुर, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 354 क से घ तक एवं 509 (**वर्तमान में प्रचलित भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 से 79 के मामले**) तथा प्रसव पूर्व गर्भाधान, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध), अधिनियम, 1994 (Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना। **6.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-2-1/2008, रायपुर, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के अनुसार सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 4 के अंतर्गत सेरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे की जनकता एवं उसके अभिरक्षा से संबंधित प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के तहत् उत्पन्न होने वाले अपराधों के निराकरण करने हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना।

			7. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
07.	**श्री गिरीश पाल सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1. कबीर नगर** **2. खमतराई** **3. विधानसभा**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
08.	**श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **कबीर नगर, गंज, धरसींवा, गोबरा नवापारा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
10.	**कु. आकांक्षा बेक,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1.खरोरा** **2. पुरानी बस्ती** **3. धरसींवा**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य**

			न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **3.** आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
11.	**कु. गीता बृज,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **राजेन्द्र नगर, सरस्वती नगर, पुरानी बस्ती, आजाद चौक** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
12.	**श्री सुरेश टोप्पो,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **सिटी कोतवाली, मंदिर हसौद, विधानसभा, खमतराई** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
13.	**श्री आलोक कुमार अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **टिकरापारा, सिविल लाईन, गुढ़ियारी, तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का

			निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
14.	**श्री विवेक कुमार टण्डन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1. अभनपुर** **2. राजेन्द्र नगर**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
16.	**श्री गुरुप्रसाद देवांगन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1. सरस्वती नगर** **2. डी.डी. नगर**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का

			निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **3.** आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
18.	**कु. अंकिता यदु,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1.मुजगहन** **2. खम्हारडीह**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **4.** रायपुर मुख्यालय के **रिक्त न्यायालयों से उद्भूत समस्त दांडिक कार्यों** (परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना। **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य

			न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
19.	**कु. दीक्षा देशलहरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **डी.डी. नगर, खम्हारडीह, माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
21.	**कु. सावित्री रक्सेल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **पण्डरी, गोलबाजार, मुजगहन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
23.	**श्री प्रवीण कुजूर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **उरला, मौदहापारा, खरोरा, देवेन्द्र नगर** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण** (अन्य दांडिक कार्य जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) **का निराकरण करना।** **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
25.	**कु. कृति कुजूर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र **1. गोबरा नवापारा** **2. मौदहापारा**	**1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से

			संबंधित मामलों का निराकरण करना। **3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
30.	**श्री विकास खाण्डे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**1.** आरक्षी केन्द्र **आमानामा, राखी, अभनपुर** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **2. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण** (अन्य दांडिक कार्य जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) **का निराकरण करना।** **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
31.	**श्रीमती मनीषा ठाकुर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	--	**1.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुमोदित दिनांक 04.01.2024 में किये गये संषोधन उपरान्त **परिशिष्ट "ए"**, **परिशिष्ट "ए–1"** एवं **परिशिष्ट "बी"** को विलोपित कर निम्नानुसार **परिशिष्ट "ए"**, **परिशिष्ट "ए–1"** एवं **परिशिष्ट "बी"** समाविष्ट किया किया जाता है:–

// परिशिष्ट "ए" //

धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना		
क्र.	**मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र**
01.	**02.**	**03.**
01.	**श्री भूपेश कुमार बसंत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सिविल लाईन
02.	**श्री आनंद कुमार सिंह,** विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)	देवेन्द्र नगर,

03.	**कु. खिलेश्वरी सिन्हा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	विधानसभा, खरोरा,
04.	**कु. सीमा कंवर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गोलबाजार
05.	**श्री गिरीश पाल सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	मौदहापारा, पुरानी बस्ती
06.	**श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	जी.आर.पी, आर.पी.एफ.,
07.	**कु. आकांक्षा बेक,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गंज, कबीर नगर
08.	**कु. गीता बृज,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	धरसींवा, तिल्दा नेवरा
09.	**श्री सुरेश टोप्पो,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	मुजगहन, सरस्वती नगर
10.	**श्री आलोक कुमार अग्रवाल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	राजेन्द्र नगर, अभनपुर
11.	**श्री विवेक कुमार टण्डन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	टिकरापारा, डी.डी. नगर,
12.	**श्री गुरुप्रसाद देवांगन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	तेलीबांधा, उरला
13.	**श्री अजय सिंह मीणा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	माना, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
14.	**कु. अंकिता यदु** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गोबरा नवापारा, एंटी करप्शन ब्यूरो
15.	**कु. दीक्षा देशलहरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सिटी कोतवाली, आजाद चौक
16.	**कु. सावित्री रक्सेल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरंग, सी.बी.आई.

17.	**कु. जेनिफर लकड़ा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गुढ़ियारी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना, महिला थाना
18.	**श्री प्रवीण कुजूर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	खमतराई, आमानाका
19.	**कु. कृति कुजूर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	राज्य सायबर थाना, रेंज सायबर थाना
20.	**श्री विकास खाण्डे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	मंदिर हसौद, खम्हारडीह
21.	**श्रीमती मनीषा ठाकुर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	राखी, पण्डरी

// परिशिष्ट "ए-1" //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करना**

क्र.	**मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र**
01.	**02.**	**03.**
01.	**कु. खिलेश्वरी सिन्हा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	विधानसभा, सरस्वती नगर, डी.डी. नगर, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना,
02.	**श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	जी.आर.पी., आर.पी.एफ, सिविल लाईन, महिला थाना,
03.	**कु. आकांक्षा बेक,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गंज, गोलबाजार, माना खरोरा,
04.	**कु. गीता बृज,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	धरसींवा, तिल्दा नेवरा,

		देवेन्द्र नगर, आमानाका
05.	**कु. अंकिता यदु** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गोबरा नवापारा, एंटी करप्शन ब्यूरो, उरला, तेलीबांधा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
06.	**कु. दीक्षा देशलहरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सिटी कोतवाली, मुजगहन, आजाद चौक, मंदिरहसौद
07.	**कु. सावित्री रक्सेल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरंग, सी.बी.आई., कबीर नगर, अभनपुर,
08.	**कु. जेनिफर लकड़ा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गुढियारी, मौदहापारा पण्डरी, राजेन्द्र नगर,
09.	**कु. कृति कुजूर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	राज्य सायबर थाना, रेंज सायबर थाना, खमतराई, खम्हारडीह
10.	**श्रीमती मनीषा ठाकुर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	राखी, सरस्वती नगर टिकरापारा, पुरानी बस्ती

// परिशिष्ट "बी" //

(1) राजस्व जिला रायपुर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुसार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत **दांडिक** प्रकरणों के निराकरण करने हेतु अधिकृत न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 31 के क्रम से** निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हों, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 31 के पश्चात् से क्रम से क्रमांक–1 को छोड़कर अर्थात् क्रमांक–2 से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(2) राजस्व जिला रायपुर में स्थित **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय के मध्य अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–8, 11, 12, 13, 19, 21, 23** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 23 के पश्चात् क्रमांक 8 से क्रम से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–8, 11, 12, 13, 19, 21, 23** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। इसी तरह कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक– 8, 11, 12, 13, 19, 21, 23** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगाअर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(4) इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–32** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **तिल्दा नेवरा** एवं **क्रमांक–33** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **आरंग** के अवकाश पर होने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर उनका अत्यावश्यक कार्य राजस्व जिला के मुख्यालय रायपुर में स्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को छोड़कर) कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 30, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(5) उपरोक्तानुसार दर्शित अनुसार अवकाश पर होने पर क्रमानुसार अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जावेगी तथा जिन मामलों में साक्षी उपस्थित हुए हों, यदि संभव हो तो उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करेंगे। यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो उक्त साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद किया जाकर अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य पर वापस आने की तिथि से तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देना निर्धारित किया जावेगा तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके अतिरिक्त दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) एवं विविध आदेश दिनांक 25.03.2025 में उल्लेखित आदेश यथावत रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक–क/ मु.न्या.मजि./2025,   रायपुर, दिनांक 02.04.2025

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित्।
(2) समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(4) पुलिस अधीक्षक, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(5) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) सांख्यिकी अनुभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(7) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर/तिल्दा/आरंग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(8) प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(9) प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(10) कम्प्यूटर अनुभाग रायपुर की ओर उपरोक्त संशोधन अनुसार वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)

//विविध आदेश//

(दांडिक कार्य वितरण के संबंध में)

क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025 रायपुर, दिनांक 03.04.2025

मैं, **गिरीश कुमार मंडावी**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए, दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) के संबंध में विविध आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 02.04.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है।

(1) दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) के संबंध में जारी विविध आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 02.04.2025 की कंडिका (2) में सरल क्रमांक 23 के स्तम्भ क्रमांक–2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को स्तम्भ क्रमांक–4 की कंडिका–**"2. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण** (अन्य दांडिक कार्य जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) **का निराकरण करना",** को **"विलोपित"** किया जाता है।

(2) इसी प्रकार उक्त विविध आदेश क्रमांक–क/मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 02.04.2025 में कंडिका (3) के **परिशिष्ट "बी"** के कंडिका (5) के उपरान्त उल्लेखित **"इसके अतिरिक्त दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) एवं विविध आदेश दिनांक 25.03.2025 में उल्लेखित आदेश यथावत रहेगा।",** को **"विलोपित"** कर उसके स्थान पर **"इसके अतिरिक्त दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुमोदित दिनांक 07.01.2025) में उल्लेखित आदेश यथावत रहेगा।",** समाविष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक–क/ मु.न्या.मजि./2025, रायपुर, दिनांक 03.04.2025

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर अवलोकनार्थ सम्प्रेषित्।

(2) समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(4) पुलिस अधीक्षक, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(5) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक, जिला न्यायालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(7) सांख्यिकी अनुभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(8) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर/तिल्दा/आरंग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(9) प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(10) प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(11) कम्प्यूटर अनुभाग रायपुर की ओर उपरोक्त संशोधन अनुसार वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(गिरीश कुमार मंडावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)